



षोडश

बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 02 भाद्र, 1939 (श०)
24 अगस्त, 2017 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 73

(1) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	" "	13
(2) नगर विकास एवं आवास विभाग	" "	19
(3) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	" "	15
(4) कृषि विभाग	" "	07
(5) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	" "	12
(6) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	" "	03
(7) सहकारिता विभाग	" "	03
(8) विधि (धार्मिक न्याय) विभाग	" "	01
कुल योग —		<u>73</u>

औचित्य बतलाना

*183. श्री विनय बिहारी—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला के अंचल कार्यालय में दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे वाहन चालकों ने पत्रांक 324(3), दिनांक 2 सितम्बर, 2013 के द्वारा प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा दिनांक 10 अगस्त, 2015 को अपर सचिव को काम के अनुरूप पारिश्रमिक बढ़ाने हेतु आवेदन-पत्र दिया था परन्तु अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

डाक कराना

*184. श्री जिवेश कुमार—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के घोघराहा एवं जाले स्थित बाजार का सरकारी डाक कई वर्षों से नहीं होने के कारण सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार सरकारी राजस्व को नुकसान को रोकने के लिये उक्त बाजार का कबतक डाक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*185. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी में रमना ठाकुरवाड़ी मोड़ कुंज बिहारी अग्रवाल के घर से घंघरी रोड में पोखर तक एवं शौखपुरा में रामानन्दन प्रसाद के घर से चतरा रोड होते हुये मोरहर नदी तक नाला नहीं रहने से मुहल्ले में जल-जमाव की समस्या बनी रहती है एवं लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त वर्णित स्थानों पर कबतक नाला निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति केन्द्र का निर्माण

*186. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत डोभी प्रखंड के ग्राम-निमियांटांड में पेयजल की सुविधा हेतु जलापूर्ति केन्द्र नहीं रहने से नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु ग्राम-निमियांटांड में कबतक मिनी जलापूर्ति केन्द्र निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जलापूर्ति करना

*187. श्री रवींद्र सिंह—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत कलेर प्रखंड के कलेर में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित पानी टंकी से जलापूर्ति नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित पानी टंकी से कबतक जल आपूर्ति कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रोन्नति देना

*188. श्री महबूब आलम—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग के अधिसूचना संख्या 17 स्था0 (बन्दो) नियमावली) 234/2013-1904, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 एवं 1905, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 बिहार राजस्व लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली 2014 और बिहार राजस्व प्रारूपक संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 में लिपिकीय संवर्ग से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तर तथा प्रारूपक संवर्ग से प्रथम एवं द्वितीय स्तर पर प्रोन्नति का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नियमावली के आलाोक में विभाग के अधीन भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के नियंत्रणाधीन, बन्दोबस्त कार्यालयों के कर्मचारियों को प्रोन्नति नहीं दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बन्दोबस्त कार्यालयों के कर्मचारियों को भी प्रोन्नति देना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अस्पताल का जीर्णोद्धार

*189. श्री मंगलाल चौधरी—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत असर्गंज प्रखंड के धुरिया ग्राम में पशु अस्पताल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पशु अस्पताल का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पंचायत का दर्जा देना

*190. श्री शकील अहमद खान—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के सोनैली ग्राम की जनसंख्या 20 हजार से अधिक है तथा नगर पंचायत हेतु सभी अहर्ताओं को पूरा करता है, यदि हाँ, तो उक्त ग्राम को नगर पंचायत का दर्जा नहीं देने का क्या औचित्य है ?

सड़क बनाना

*191. डॉ० मुहम्मद जावेद—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज नगर परिषद के वार्ड 32, 33 में खगड़ा करबला चौक से पासवान टोला होते हुये जुलजुली विद्यालय तक 2 कि०मी० सड़क की स्थिति जर्जर एवं दयनीय हो गयी है, जिसके कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि उक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*192. श्री बशिष्ठ सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कांचस के परिसर में पानी निकासी नहीं होने तथा जल-जमाव के कारण स्वास्थ्य कर्मों एवं रोगियों को अस्पताल में आने-जाने एवं इलाज करने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कांचस के परिसर का पानी निकासी हेतु कबतक नाला का निर्माण कराने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना का कार्यान्वयन

*193. श्री राघव शरण पाण्डेय—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा-2 प्रखण्ड में स्थित खरहट, भिमौनी पंचायत के मडरहनी गाँव के लिये मिनी जलापूर्ति योजना 2014-15 में स्वीकृत की गई थी एवं जमीन भी प्राप्त हो चुका है, यदि हाँ, तो उक्त योजना का कार्यान्वयन नहीं होने का क्या औचित्य है ?

पदस्थापित करना

*194. श्री जिवेश कुमार—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत सिंहवाड़ा प्रखण्ड के सिंहवाड़ा पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक पदस्थापित नहीं हैं, जिसके कारण आये दिन चिकित्सा के अभाव में पशु की मृत्यु हो रही है, यदि हाँ तो सरकार उक्त चिकित्सालय में पशु चिकित्सक को कबतक प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दुकान आवंटन कराना

*195. श्री निरंजन राम—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भभुआ जिलान्तर्गत मोहनियाँ प्रखण्ड में सब्जी दुकानदारों के लिये वर्ष 2004 में सब्जी मंडी में विभाग द्वारा दुकान बनाया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि दुकानों का आवंटन भी दुकानदारों को कर दिया गया, परन्तु आर्षटियों द्वारा दुकान नहीं लेकर सड़क पर ही व्यापार करते हैं, जिससे अतिक्रमण के साथ-साथ सरकार को राजस्व की भी क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आवंटन रद्द कर नये सिरे से दुकान आवंटन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दखल-दहानी करवाना

*196. श्री अशोक कुमार सिंह (203)—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत दुर्गावती प्रखण्ड के चहनिया पंचायत, मौजा कलहनुआ के थाना नं० 74 में चकबंदी का कार्य वर्ष 1985-86 में पूरा हो गया था तथा उक्त चकबंदी के आधार पर खतियान भी बन गया है, परन्तु आजतक रैयतों का दखल-दहानी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त रैयतों को चकबंदी के अनुरूप कबतक दखल-दहानी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सक का पदस्थापन

*197. श्री महबूब आलम—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही कि कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड के आबादपुर गाँव में पशु चिकित्सालय में चिकित्सक एवं चिकित्सा सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थानीय पशुपालकों को अपने पशुओं की चिकित्सा में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालय में चिकित्सा सामग्री सहित चिकित्सक को पदस्थापित कर कबतक चिकित्सा व्यवस्था बहाल कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति

*198. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुपौ प्रखंड के पशु चिकित्सा केन्द्र, सुपौ एवं बरहा में पशु चिकित्सक नहीं रहने से पशु के गर्भधारण से लेकर पशु चिकित्सा प्रभावित हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार सुपौ प्रखंड के उपरोक्त पशु चिकित्सा केन्द्र पर पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्ड बनाना

*199. श्री (मो०) नवाज आलम--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र में बी० पी० एल० कार्डधारक के अनाज का उठाव बन्द कर खाद्य सुरक्षा (पी० एच० एच०) कार्डधारक को अनाज दिया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी बी० पी० एल० कार्डधारक का खाद्य सुरक्षा कार्ड नहीं बना है, जिससे गरीब जनता अनाज के उठाव से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में अनाज उठाव के लिये खाद्य सुरक्षा कार्ड बनाने हेतु कौन-सा कदम उठाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्चा उपलब्ध कराना

*200. श्री सुबोध राय--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत सुलतानगंज अंचल के चरसा गुदाम गाँव में गत पचास वर्षों से करीब एक सौ दंगा पीड़ित अल्पसंख्यक गरीब परिवार बसे हुये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि सुलतानगंज अंचलाधिकारी को उपर्युक्त विस्थापितों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को आवेदन समर्पित कर वासगीत पर्चा निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक उन्हें वासगीत पर्चा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

जाँच कराना

*201. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला कृषि प्रदाधिकारी, नालंदा द्वारा सिंचाई पाइप एवं फोल्डर पाइप में चुनिंदा डीलर के माध्यम से व्यापक पैमाने पर अनुदान राशि की गड़बड़ी हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2.5 करोड़ का आवंटन इस जिले को प्राप्त हुआ है, जिसमें लाभुकों कृषकों का सत्यापन किया जाना बाकी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि इस योजना में प्रति कृषक 10 कि० मी० या 5 कि० मी० फोल्डर पाइप का वितरण दिखाकर 50 कि० मी० प्रति लाभुक का विपत्र कार्यालय में जमा किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा क्या सरकार इसकी जाँच कराकर कार्रवाई कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सड़क का निर्माण

*202. श्री अशोक कुमार सिंह (224)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गया-चेरको पथ से समोद बिगहा होने जी० टी० रोड तक एवं जी० टी० रोड से नदी किनारे होते मिल्कीबाग-रमना तक सड़क नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित सड़कों का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समस्या का निदान

* 203. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं० 40 लोहिया चौक से सैदनगर होते हुये विश्वकर्मा मंदिर के आगे तक एवं वार्ड नं० 44 के पोखरिया स्कूल मध्य विद्यालय से भगवती बाबू वकील सोहब के घर तक नाला नहीं रहने के कारण इन इलाके के लोगों को भारी जल-जमाव की समस्या का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित दोनों नालों का कबतक निर्माण कर जल-जमाव की समस्या का निदान करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

* 204. श्री जयवर्धन यादव--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दुल्हन बाजार अंचल कार्यालय में दाखिल-खारिज, जमीन का म्यूटेशन सहित अन्य कार्यों के लिये अंचलाधिकारी द्वारा भ्रष्ट-एवं अनैतिक आचरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अंचलाधिकारी एवं अंचल कार्यालय के क्रियाकलाप की जाँच करते हुये कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

नाला का निर्माण

* 205. श्री (मो०) नवाज आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा विधान सभा क्षेत्र के गोपाली चौक से मिल्की मुहल्ला होते हुये अबरपुल तक नाला निर्माण कार्य का डी०पी०आर० आरा नगर निगम द्वारा नगर विकास विभाग, पटना को उपलब्ध कराया गया है, यदि हाँ, तो उक्त नाला निर्माण हेतु सरकार की क्या योजना है ?

पदस्थापन कराना

* 206. श्री मुद्रिका प्रसाद राय--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया एवं पानापुर प्रखंडों में विपणन पदाधिकारियों के पद रिक्त रहने से स्थानीय उपभोक्ताओं को ससमय खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होने से कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक रिक्त पदों पर विपणन पदाधिकारियों का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जाँच

* 207. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री चापाकल योजनान्तर्गत नवादा जिला के हिसुआ नगर क्षेत्र में 17 तथा हिसुआ एवं नरहट प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्र में 100 चापाकल गाड़े गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्राक्कलन की विशिष्टियों के विपरीत घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है तथा प्रति पाईप लेंथ 12 किलो के बदले 8 किलो का लगाया गया है जिसके कारण पाइप फट रहा है और दूषित जल निकल रहा है, साथ ही चापाकल में चबूतरा का निर्माण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हिसुआ नगर क्षेत्र, हिसुआ एवं नरहट ग्रामीण क्षेत्र में 2015-16 में मुख्यमंत्री चापाकल योजनान्तर्गत चापाकलों के गाड़ने में हुयी अनियमितता की जाँच करके कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

हानि रोकना

* 208. श्री सीताराम यादव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभिन्न डेयरी फर्मों द्वारा पशुपालकों से जिस दर पर दूध क्रय किया जाता है वह राशि दुग्ध उत्पादन लागत के काफी कम है, यदि हाँ, तो पशुपालकों को हो रही हानि को रोकने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

किराया का भुगतान

* 209. श्रीमती भागीरथी देवी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड गौनाहा के ग्राम भिखनाठोरी में नरकटियागंज से चारपहिया वाहनों से जलापूर्ति की जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले 15 माह से वाहनों के किराये का विभाग द्वारा भुगतान नहीं किये जाने से जलापूर्ति बंद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जलापूर्ति हेतु वाहन किराये का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

* 210. श्री भाई वीरेन्द्र--दिनांक 11 जुलाई, 2017 को स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "कुम्हार, कदमकुआँ व राजेन्द्रनगर में दुकानों और घरों में भरा पानी, अस्पताल बाजार भी लबालब" के आलोक में क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नगर विकास की निष्क्रियता एवं ठोस प्रबंधन के अभाव में राजधानी पटना में मात्र 110.4 मि०मी० वर्षा होने से कंकड़बाग, कदमकुआँ, रेलवे स्टेशन, छन्जुबाग, आर०ब्लॉक, जक्कनपुर, मीठापुर, गर्दनीबाग, शास्त्रीनगर सहित तमाम नगर के व्यावसायिक एवं आवासीय इलाकों में सड़क एवं घरों में दो से चार फीट जल-जमाव होने से नगरवासियों नारकीय जीवन जीने को विवश हो गये हैं, जबकि नगर निगम जल निकासी प्रबंधन में करोड़ों रुपये प्रत्येक वर्ष व्यय करती है, यदि हाँ, तो जल निकासी प्रबंधन पर प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करने का औचित्य क्या है ?

प्रतिनियुक्ति करना

* 211. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड में विशनपुर पंचायत के ग्राम मधुलत में विगत 6 वर्षों से प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय चल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय में एक डॉक्टर, एक आदेशपाल एवं एक रात्रि प्रहरी-सहायक का पद स्वीकृत है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त पशु चिकित्सालय में एक प्रभारी पशु चिकित्सक द्वारा पशुओं का चिकित्सा किया जाता है जो अतिरिक्त प्रभार में है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पशु चिकित्सालय में स्थायी पशु चिकित्सक के साथ ही आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी-सहायक की प्रतिनियुक्ति कब तक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण देना

* 212. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी विभागों एवं पंचायती राज में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का चुनाव नियुक्तियों में 17% आरक्षण का प्रावधान है, यदि हाँ, तो पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में इस वर्ग को आरक्षण नहीं देने का क्या औचित्य है ?

जीर्णोद्धार कराना

*213. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ में उत्तर बिहार की सबसे बड़ी 68 एकड़ में फैली गुलाबबाग कृषि विपणन यार्ड की स्थिति काफी दयनीय और जर्जर है, यदि हाँ, तो इसका जीर्णोद्धार हेतु सरकार की क्या योजना है ?

जमीन उपलब्ध कराना

*214. श्री रत्नेश सादा--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के एक हजार भूमिहीन महादलित परिवारों को आजतक 3 डीसमील जमीन नहीं दिया गया है, जिसके कारण आज भी महादलित परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त भूमिहीन महादलितों को 3 डीसमील जमीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच प्रयोगशाला खोलना

*215. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंड में मिट्टी जाँच प्रयोगशाला नहीं रहने के कारण प्रखंड के आम किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड में कबतक मिट्टी जाँच प्रयोगशाला खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

योजना पूर्ण कराना

*216. श्री मनोज कुमार--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के गोह प्रखंड में बाजार वर्मा पंचायत के मुड़मा गाँव में राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत आम लोगों को पेय जलापूर्ति कराने की योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्ण कराना था, परन्तु अभीतक कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

बीमा का लाभ दिलाना

*217. श्री अशोक कुमार सिंह (203)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला में वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों ने फसल बीमा कराया था, परन्तु उक्त बीमा का लाभ किसानों को आजतक नहीं मिला है, यदि हाँ, तो सरकार वर्ष 2016 में फसल बीमा कराये किसानों को कबतक बीमा का लाभ देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान

*218. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखंड में वर्ष 2015-16 में किसानों द्वारा करायी गयी खरीफ फसल बीमा योजना राशि का भुगतान दिनांक 8 अगस्त, 2017 तक नहीं किया जा सका है, जिससे किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार खरीफ फसल बीमा योजना की बकाया राशि का भुगतान कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला का निर्माण

*219. श्री सैयद अब्दुल्ला--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नगर पंचायत, पुपरी में अजीजीया मदरसा के बगल से नौशाद के घर तक नाला का निर्माण एवं एस०एच० पुपरी से जैतपुर मोहल्ला तक नाला का निर्माण नहीं होने के कारण आमजनों को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थानों पर नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चबूतरा का निर्माण

*220. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड अन्तर्गत मुख्यमंत्री चापाकल योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में वर्ष 2014-15 और 2015-16 में पाँच अदद लगाये गये चापाकलों का अभीतक चबूतरा निर्माण का कार्य नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक गाड़े गये चापाकलों पर चबूतरा निर्माण कार्य कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

हॉल का निर्माण

*221. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा नगर पंचायत में आम जनता के लिये विवाह भवन नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नगर पंचायत में अशोक सम्राट हॉल का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*222. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी शहर में मनिहारी घाट में प्रतिवर्ष माची पूर्णिमा, श्रावणी मेला, छठ इत्यादि में लाखों श्रद्धालु एवं ब्रती स्नान करने आते हैं, लेकिन सीढ़ी, घाट और शौचालय के अभाव में कष्ट का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार वहाँ की जनता के लिये सीढ़ी, घाट एवं शौचालय निर्माण का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच कराना

*223. श्री जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला में जिला बागवानी पदाधिकारी ने बागवानी योजना मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 में हाई ब्रीड सब्जी की खेती हेतु चुनिन्दा डीलर के माध्यम से किसानों के फर्जी हस्ताक्षर से प्रति लाभुक 13,500 रुपये कुल राशि 63,00,000 (तीरसठ लाख) रुपये का भुगतान ले लिया गया, जबकि लाभुकों को कोई राशि नहीं मिली है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच निगरानी विभाग से कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

योजना को लागू करना

*224. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समग्र गव्य विकास योजना के अन्तर्गत किसानों, पशुपालकों, बेरोजगार युवकों को डेपरी स्थापित करने हेतु अनुदान सहित आसान लोन दिया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2016-17 तक अधिकारियों की लापरवाही के कारण गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर, पूर्वी-पश्चिमी चम्पारण सहित पूरे राज्य में इस योजना में उपलब्धी 20 प्रतिशत से भी कम रही;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस योजना के विफलता के जिम्मेवार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ-साथ उक्त योजना को लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सड़क उपलब्ध कराना

*225. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर अंचल के पकड़ी सीक्षित पंचायत के पीपरा नन्हकार के महादलित बस्ती में गोरख राम सहित 50 परिवार को आवागमन हेतु सड़क की सुविधा नहीं होने से उनलोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान के महादलित परिवारों को कबतक सम्पर्क सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पदस्थापित कराना

*226. श्री बशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर अंचल में अंचलाधिकारी का पद रिक्त रहने से ग्रामीण जनता को राजस्व एवं भूमि संबंधी कार्य कराने में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार रोहतास जिला शिवसागर अंचल में कबतक अंचलाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमीन का पट्टा देना

*227. श्री राघव शरण पाण्डेय--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम बम्पारण जिले के बगहा नगर के कैलाशनगर क्षेत्र में 3000 परिवारों को बाढ़ द्वारा विस्थापित होने के बाद 50 वर्ष पूर्व बसाया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि अभी तक सरकार ने इन परिवारों को आवासीय जमीन का पट्टा नहीं दिया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

खुदाई कराना

*228. श्रीमती अरुणा देवी--क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड अन्तर्गत अपसद गाँव में 100 एकड़ का तालाब मिट्टी से भरा हुआ है, जिस कारण बहुत कम मछली का उत्पादन होता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त तालाब की खुदाई कर मिट्टी हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गोदाम की मरम्मत

*229. श्री मुन्द्रिका सिंह यादव--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के रतनीफरीदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित राज्य खाद्य निगम का गोदाम जर्जर हो गया है और बरसात में पानी का रिसाव होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गोदाम को कब तक मरम्मत कराना चाहती है ?

जीर्णोद्धार कराना

*230. श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तैरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित जलमीनार का पाइप लाइन विगत 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त रहने से स्थानीय लोगों को जलापूर्ति नहीं होने से कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त जलमीनार को क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बासगीत पर्चा उपलब्ध कराना

*231. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखंड अधीन विशुनपुर पंचायत के बरान टोला तथा कुआँड़ी पंचायत के मदरौनी दलित टोला में बसे ग्रामीणों को बासगीत पर्चा नहीं बनाये जाने के कारण ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों ग्रामों के भूमिहीनों को बासगीत पर्चा मुहैया कराने का विचार रखती है ?

औचित्य बताना

*232. श्री रलेश सादा--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के सोनवर्षा प्रखंड कैम्पस में जलमीनार का निर्माण वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया गया था, परन्तु आज तक जलापूर्ति नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

*233. श्री अब्दुल जलील मस्तान—क्या मंत्री, गृह एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पताही प्रखण्ड के ग्राम-सरैया गोपाल, टोला महमद का नक्शा के अनुसार मापो नहीं होने के कारण नाला, सड़क एवं जमीन पर दंबगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों का आपस में बराबर विवाद रहता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नक्शा के अनुसार सही मापो कराकर सड़क, नाला एवं जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नाला बनाना

*234. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं० 28 में ननकौ पोखर से गुलाब सिंह, वालेश्वर यादव एवं दिनेश के घर होते हुये कुष्ठ अस्पताल के नाला तक सड़क एवं नाला के नहीं बने होने से उक्त क्षेत्र में प्रायः जल-जमाव रहता है;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं० 28 अन्तर्गत बैंक कॉलोनी में साहू समाज भवन के निकट, लक्ष्मी राय, फुलेश्वर राय, सागर देवी, हसन के घर होते हुये आनन्द बिहारी झा के घर तक सड़क एवं नाला नहीं बने होने से उक्त क्षेत्र में प्रायः जल-जमाव रहता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में एवं (2) में वर्णित सड़क एवं नाला को बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

*235. श्री सत्यदेव राम—क्या मंत्री, विधि (धार्मिक न्यास) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखण्ड के ग्राम-तिरहुता स्थित मठ का न्यास घाटी महंथ की मृत्यु हो जाने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मठ की सम्पत्ति अपने अधीन कर जमीन बेची जा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्यटन के पत्रांक 2966, दिनांक 13 फरवरी, 2017 एवं पत्रांक 50, दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को अनुमंडलाधिकारी, मधुबनी को उक्त मठ के चल-अंचल सम्पत्ति को जाँच कराकर प्रतिवेदन भौंगा गया था, जो अभीतक उपलब्ध नहीं करायी गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मठ की सम्पत्ति बचाने एवं दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल सुविधा बहाल करना

*236. श्री मिथिलेश तिवारी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले में सिधवलिया प्रखण्ड के बुचेया तथा बैकुण्ठपुर प्रखण्ड के दिघवाँ ग्राम में वर्षों पूर्व अवस्थित जलमीनार से स्थानीय ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लगाये गये सभी पाइप लाइन खराब पड़े हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलमीनारों के संचालन हेतु अबतक पम्प ऑपरेटरों की नियुक्ति नहीं की गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सभी जलमीनारों तथा पाइप लाइन की जाँच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ-साथ ऑपरेटरों की नियुक्ति कर पेयजल सुविधा बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

औचित्य बताना

*237. श्री रामदेव राय—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के भगवानपुर एवं बछवाड़ा प्रखण्डों में वर्ष 2015-16 में विधायक अनुशंसा से चापाकल गाड़ने की योजना स्वीकृत होने के बाद अभीतक 60 प्रतिशत चापाकल भी नहीं गाड़ा जा सका है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार कबतक शेष चापाकल गाड़ने का विचार रखती है ?

भुगतान करना

*238. श्री सिद्धार्थ—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बिक्रम प्रखण्ड के बेनि बिगहा पैक्स के द्वारा वर्ष 2014-15 में कुल 17,478 किलो ग्राम धान की अधिप्राप्ति सरकार द्वारा किया गया, जिसमें 2014-15 में ही 1058, किलो ग्राम धान की कीमत का भुगतान कृषकों को कर दिया गया था, परन्तु अधिप्राप्ति शेष 6,920 किलो ग्राम धान की राशि का भुगतान अभीतक कृषकों को नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित अधिप्राप्ति शेष धान की राशि कृषकों को भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पेयजल आपूर्ति करना

*239. श्री तारकिशोर प्रसाद—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार नगर निगम क्षेत्र में 6.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित दो जलमीनार बनकर तैयार हैं, लेकिन जल पर्षद के गठन के अभाव में विगत पाँच वर्षों से जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की जा सकी है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय लापरवाही एवं अकर्मण्यता के कारण कटिहार वासी लौहयुक्त पेयजल पीने के लिये विवश हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक कटिहार में जल पर्षद का गठन कर कटिहारवासियों को लौहमुक्त पेयजल आपूर्ति करने का इरादा रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा दिलाना

*240. श्री निरंजन राम—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत कुदरा प्रखण्ड को नगर पंचायत का दर्जा नहीं मिला है, जबकि उक्त प्रखण्ड की आबादी 20 हजार से ज्यादा है तथा नगर पंचायत की अर्हता रखता है, यदि हाँ, तो सरकार कुदरा प्रखण्ड को कबतक नगर पंचायत का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रयोगशाला स्थापित करना

*241. डॉ० रंजु गीता—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बाजपट्टी विधान सभा अन्तर्गत प्रखण्ड बाजपट्टी, नानपुर एवं बोखड़ा के स्थानीय कृषकों को मिट्टी जाँच नहीं हो पाती है, जिससे कृषकों की खेतों में कम फसल का पैदावार होता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित स्थल पर कबतक मिट्टी जाँच प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?

रेफ्रीजरेटर भान उपलब्ध कराना

*242. श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 में बिहार बागवानी मिशन ने 10 रेफ्रीजरेटर भान खरीदने के लिये वैशाली बैंचर्स लिमिटेड कम्पनी को 2 करोड़ 20 लाख रुपये का अनुदान दिया था, लेकिन अभीतक उक्त कम्पनी द्वारा विभाग को भान उपलब्ध नहीं कराया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

निर्माण कराना

*243. श्री रवींद्र सिंह—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत कलेर प्रखण्ड के चंदा, करपी प्रखण्ड के शहर तेलपा व अरवल प्रखण्ड के रामपुर, चौरम में विभागीय स्वीकृति संख्या 1412, दिनांक 14 जून, 2013 से पशु चिकित्सालयों की स्वीकृति मिली है, परन्तु अबतक भवन का निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

भूमि उपलब्ध कराना

*244. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर नगर पंचायत में बस स्टैण्ड बनाने हेतु निविदा निष्पादन 2015-16 में होने के बाद भी आजतक स्टैण्ड बनाने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, जबकि उक्त बस स्टैण्ड हेतु नबीनगर धाना के पास भूमि भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*245. श्री विनय बिहारी—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत श्री बैद्यनाथ उच्च विद्यालय की भूमि जो हथिया मौजा में पड़ता है, उसका अतिक्रमण हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रधान शिक्षक द्वारा जिलाधिकारी को 6 अप्रैल, 2017 को इस संदर्भ में पत्र दिया गया है, परन्तु अभीतक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त कराना

*246. श्री सैयद अबू दीजाना—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखण्ड अन्तर्गत हरिहरपुर पंचायत के ग्राम-चैनपुरा में शमशान घाट की 22 एकड़ जमीन स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे ग्रामीणों को दाह-संस्कार करने के लिये दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त जमीन को कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*247. श्री अचमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड में विशनपुर पंचायत के ग्राम-मधुलता में प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय विगत 6 (छः) वर्षों से किराये के मकान में चल रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय का भवन कबतक बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*248. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले के चिरैया विधान-सभा क्षेत्र के अन्तर्गत चिरैया तथा पताही प्रखण्डों में पशु चिकित्सालय के पास अपना भवन नहीं है, जिस कारण चिकित्सा कार्य में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उपरोक्त दोनों प्रखण्डों में कबतक पशु चिकित्सालय हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शौचालय का निर्माण

*249. श्री अशोक कुमार सिंह—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखण्ड के रफीगंज नगर पंचायत में सार्वजनिक शौचालय नहीं रहने से आमजनों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार रफीगंज नगर पंचायत में कबतक सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवनों का जीर्णोद्धार

*250. श्री नरेन्द्र नारायण यादव—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत अंचल चौसा के अधीन राजस्व कचहरी, फुलौत एवं अंचल, आलमनगर के अधीन राजस्व कचहरी, रतवाड़ा के भवन की हालत जीर्ण-शीर्ण है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त राजस्व कचहरी के क्षतिग्रस्त भवनों के जीर्णोद्धार का विचार रखती है ?

अतिक्रमण मुक्त करना

*251. श्री मनोज कुमार—क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखण्ड में मलहद पंचायत के मलहद गाँव में लगभग 22 एकड़ में अवस्थित तालाब अतिक्रमणित है तथा वर्षों से जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार इस अविकसित तालाब को अतिक्रमण मुक्त एवं जीर्णोद्धार कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दर्जा प्राप्त करना

*252. श्री राजेश कुमार—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखण्ड के अम्बा पंचायत की जनसंख्या 13 हजार है और यहाँ 80 प्रतिशत लोग गैर-कृषि कार्य में जुड़े हुये हैं तथा नगर पंचायत की सभी मानक अर्हता होने के बाद भी नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

नगर पंचायत का दर्जा देना

*253. श्री जयवर्धन यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज को नवम्बर, 2016 में सरकार द्वारा नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, परन्तु नगर पंचायत का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है तथा सुविधाएँ भी नहीं दी गई हैं, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

पेयजल उपलब्ध कराना

*254. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के बेगूसराय जिला के बछवाड़ा, भगवानपुर प्रखंड में आर्सेनिक पर्याप्त शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं होने से सैकड़ों लोग प्रतिमाह पेट सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित होकर परेशान रहते हैं, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त प्रखंडों में आर्सेनिक मुक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पर कार्रवाई

*255. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत चेनारी विधान-सभा के चारों प्रखंडों में विधायक द्वारा 250 चापाकल लगाने की अनुशंसा वित्तीय वर्ष 2015-16 में की गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि संवेदक एवं कार्यपालक अभियंता के द्वारा वर्ष 2015-16 के अनुशंसा सूची के चापाकल प्राक्कलन के अनुसार नहीं लगाये जा रहे हैं एवं 250 चापाकल में मात्र 20 प्रतिशत ही चापाकल लगाये गये हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों को दंडित करने एवं सूची के आलोक में चापाकल गड़वाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 24 अगस्त, 2017 (ई०)।

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा ।